न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 951 सन 2026
CNR No. UPSP 010029712026

नसीम पुत्र नासिर, निवासी ग्राम समसपुर नोगावा, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं 126/2025
धारा–303(2),317(2) बी0एन0एस0
थाना–सदर बाजार, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

12.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **नसीम** की ओर से मु0अ0सं0–126/2025 धारा 303(2),317(2) बी0एन0एस0, थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर के मामले में यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में वह दिनांक **23.12.2025** से कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमती शमा पत्नी नसीम का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नही है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी की मोटरसाईकिल चोरी करने तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी की मोटरसाईकिल की बरामदगी होने का आक्षेप है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वह निर्दोष हैं उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी उक्त वाद में पूर्व मे जमानत पर था तथा उक्त वाद में आरोप पत्र प्रेषित किए जाने की जानकारी न होने के कारण नियत तिथि पर वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाया, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में प्रार्थी दिनांक 23.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नही की गयी है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्त की ओर से उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.04.2025 के अनुपालन में प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। दौरान विचारण उक्त वाद में आरोप पत्र प्रेषित किए जाने की जानकारी न होने के कारण नियत दिनांक को विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में वह दिनांक 23.12.2025 से इस मामले में कारागार में निरूद्ध है। अनुपस्थिति के सन्दर्भ में अभियुक्त की ओर से दर्शित कारण पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो के दृष्टिगत केस के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **नसीम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का नवीन व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय नवीन प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–।

1. आवेदक/अभियुक्त भविष्य में न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय एवं साक्ष्य अंकित किए जाते समय अनावश्यक रूप से स्थगन नही देगा।
3. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांकः–12.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891